



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/108

02/05/2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: रोटेशनल मोल्डेड पॉलीइथिलीन जल भंडारण टैंकों के लिए हितधारकों के परामर्श/बैठक पर इनपुट/टिप्पणियों के संबंध में - विनिर्देश (आईएस 12701:1996) को अनिवार्य बनाने के लिए**

हम सूचित करना चाहते हैं कि रोटेशनल मोल्डेड पॉलीइथिलीन जल भंडारण टैंकों के भारतीय मानक - विनिर्देश आईएस 12701:1996 को अनिवार्य बनाने के लिए हितधारकों के परामर्श/बैठक के संबंध में डीसीपीसी कार्यालय को संचार प्राप्त हुआ है, जो पेट्रोकेमिकल्स के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा।

परामर्श/बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है

- यह मानक, आईएस 12701:1996 और 2006 में पुष्टि की गई, बीआईएस द्वारा भी समीक्षा की जा सकती है;
- जनहित में स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा के लिए, इस मानक को अनिवार्य बनाना आवश्यक है;
- उत्पाद पहले से ही बीआईएस स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के तहत है और वर्तमान में कुल 215 घरेलू निर्माता स्वैच्छिक रूप से बीआईएस लाइसेंस/प्रमाणपत्र का उपयोग कर रहे हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे रोटेशनल मोल्डेड पॉलीइथिलीन जल भंडारण टैंकों के लिए अनिवार्य (आईएस 12701:1996) बनाने के लिए इनपुट/टिप्पणियाँ 13 मई, 2025 तक [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) [anirudha@plexconcil.org](mailto:anirudha@plexconcil.org) पर भेजें।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

**प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद**